बातचीतकेबिंदु-22

मजदूर –किसानसंघर्षरैली

सीटू-अखिलभारतीयकिसानसभा-अखिलभारतीयखेतमजदूरयूनियन

5 सितम्बर 2018

संसदकेसमक्ष

आई सी डी एस बचाओ

आई सी डी एस को मजबूत करो

- आई सी डी एस में पोषाहार के बदले नकद राशि देने का विरोध करो
- आंगनवाड़ी केन्द्रों में पका हुआ गर्म खाना बंद करने का विरोध करो
- आंगनवाड़ी की जगह नर्सरी स्कूल खोलने का विरोध करो
- आई सी डी एस में केन्द्र सरकार के बजट का हिस्सा 60 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का विरोध करो

पूरे देश में लाखों आंगनवाड़ी वर्कर्स और हैल्पर्स यह मांगे उठा रहे हैं। एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) को बचाना और मजबूत करने की मांग आज सबसे मुख्य मांग बन चुकी है, क्योंकि मोदी की अगुवाईवाली बीजेपी सरकार इसे कमजोर करने व समाप्त करने की कोशिश कर रही है। अगर इन कोशिशों को रोका न गया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। 6 साल से कम उम्र के लगभग आठ करोड़ बच्चे और 2 करोड़ महिलाओं को आई सी डी एस की मूलभूत सेवाओं से वंचित रह जायेंगे– जैसे पूरक पोषाहार, स्वास्थ्य सेवाएं और स्कूल के पहले की पढ़ाई आदि। इसके अलावा 27 लाख आंगनवाड़ी वर्कर्स और हैल्पर्स की नौकरियों के ऊपर खतरा मंडरायेगा।

आई सी डी एस का कार्यक्रम एक समग्र कार्यक्रम के रुप में शुरु किया गया था जिसका मकसद बच्चों की ऊंची मृत्युदर, माताओं की ऊंची मृत्युदर, जो कि बच्चों और औरतों में कुपोषण और खून की कमी के कारण होता है इसके खिलाफ लड़ना। और अनपढ़ता की ऊँचीदर और स्कूल ड्राप आऊट के खिलाफ लड़ना भी इसका उद्देश्य था।

बच्चों में मृत्युदर कम करने, मातृत्व मृत्युदर कम करने और स्कूल में बच्चों के दाखिले में बढ़ोतरी आदि में आई सी डी एस के कार्य को बहुत सराहा गया है यहां तक कि अंतराष्ट्रीय संस्थाओं में भी इसके योगदान को प्रशंसा मिली है। इस सफलता को पाने के लिए आंगनवाड़ी वर्कर्स और हैल्पर्स जो कि खुद गरीब परिवारों से हैं, की भूमिका को भी सराहा गया है।

इसी के मद्देनजर सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार को निर्देश दिया कि इस योजना को सार्वभौमिक बनाया जाए ताकि देश के सभी बच्चों को यह सेवाएं उपलब्ध हों।

इस योजना को अनमने मन से लागू करने और बहुत ही अपर्याप्त धन आंवटन करने के कारण आज भी हमारे देश के आधे बच्चे कुपोषण के शिकार है और वे बौने है। आज भी भारत की 74 प्रतिशत महिलाएं और बच्चे खून की कमी से ग्रस्त हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार, 1.75 करोड़ बच्चे जो हर साल पैदा होते है, उनमे से 75 लाख अपने पहले जन्म दिन से पहले ही मर जाते हैं। यह उस देश में हो रहा है, जो अपनी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की शेखी बघारता है।

कोई भी सरकार जो अपने नागरिकों की भलाई के लिए काम करे तो, इसे, देश का भविष्य यानि बच्चों और उन बच्चों को पालने पोसने वाली महिलाएं जो बच्चों को पालती पोसती है के सुख सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। हमारे देश में 1991 से नवउदारवादी नीतियों के आगमन से इन उद्देश्यों को नकार दिया है। इसके बाद सरकार ने आहार, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि कल्याणकारी कामों में पैसे में कटौती करनी शुरू की है। बहुत से हथकंडो को अपनाकर आई सी डी एस योजना की जिम्मेदारी से हटने की कोशिशें भी की गई जैसाकि आई सी डी एस को एनजीओ के सुपुर्द करना, मदर्स ग्रुप को देना, सेल्फ हेल्पग्रुप या पंचायतों के हवाले करना।

आंगनवाड़ी वर्कर्स और हैल्पर्स व उनके संगठन के भारी विरोध, लाभार्थियों का सहयोग, आम जनता तथा कई अन्य संगठनों के सहयोग से ही अब तक सरकार के कदमों को पीछे हटाया जा सका है। केन्द्र स्तर पर और कई राज्यों में भी सरकारों को इन कदमों को वापिस करने पर मजबूर किया है। लेकिन सरकार कई तरीकों अपनाकर अपने मनसूबो को लागू करने के प्रयास करती रहती है। जब तक नवउदारवादी नीतियों को पलटा नहीं जाता, तब तक सरकार के आई सी डी एस को खत्म करने तथा गरीब बच्चों और महिलाओं को इसकी सेवाओ से वंचित रखने के जघन्य इरादों पर पूरी तरह से रोका नहीं लगाई जा सकती।

कांग्रेस की यूपीए सरकार ने विश्व बैंक के निर्देशों पर आई सी डी एस को खत्म करने के प्रयास किए, और आज की बीजेपी सरकार जो नवउदारवादी नीतियों के लिए प्रतिबद्ध है, आईसीडीएस को खत्म करने को प्रयासों को और भी तेजी से लागू कर रही है। यह सरकार 'ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस' के नाम पर देशी और विदेशी कारपोरेट को लाभ पहुँचाने की

नीतियां बना रही है। लेकिन यह सरकार मानव विकास सूचकांक में भारत के गिरते स्तर की ओर लापरवाही बरत रही है।

योजनाओं को समाप्त करने की पहल

सत्ता सभालते ही मोदी नीत बीजेपी सरकार ने योजना आयोग को समाप्त कर दिया, जो आई सी डी एस को लागू करने और फंड को आवंटित करने संबधित मुद्दे तय करता था। योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ली, जिसने नवउदारवाद के एजेंडे के अनुरुप केन्द्र द्वारा चलाई गई योजनाओं को बंद करने का ऐलान किया। आई सी डी एस को ''कोर योजना'' की श्रेणी में रखा गया, जिसे लागू करना अनिवार्य नहीं है, जबकि इसे ''कोर टू कोर' योजनाओं में रखा जाना चाहिए था जिन्हें लागू करना अनिवार्य है। शुरुआती दौर में आई सी डी एस योजना केन्द्र की योजना थी। यूपीए सरकार ने धीरे–धीरे अपना हिस्सा कम करना शुरु किया आज की बीजेपी सरकार ने अनिवार्य योजनाओ के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों में (नार्थ इस्टर्न राज्यों और तीन हिमालय राज्यों) को छोड़कर बाकियों में 60 प्रतिशत 40 प्रतिशत शेयर बांटने का फैसला किया। अब भारत सरकार केवल अग्रणी खर्चा वहन करेगी जैसे भवनों को निर्माण, वाहनों पर खर्च आदि और राज्य सरकारें राजस्व खर्चे उठाएंगी जैसे पूरक पोषाहार, कर्मचारियों का वेतन इत्यादि।

इस वर्ष, केन्द्र सरकार ने अम्ब्रेला आईसीडीएस के केंद्र के हिस्से को बहुत मदों में 60 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया, जिससे पहले ही वित्तीय संकट झेल रही राज्य सरकारों पर अतिरिक्त बोझ पड़ गया। अगर इसे आंगनवाड़ी कर्मचारियों के मासिक वेतन पर लागू किया तो, वर्कर्स और हैल्पर्स के मानदेय में केन्द्र सरकार का हिस्सा मात्र 750रू और 375रू ही होगा। इसका अर्थ है कि आंगनवाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं को आज से 15 साल पहले केंद्र सरकार से जो मानदेय राशि मिल रही थी, वो आज उस राशि से भी कम है।

चुनावसे पहले आंगनवाड़ी वर्कर्स और हैल्पर्स के हालात में सुधार का वादा केवल जुमला ही निकला। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित की गई थी लेकिन राज्य सरकारों पर अतिरिक्त बोझ डालने का मतलब है कि वे इन योजनाओं को जारी रखने में हत्तोसाहित होगें। यह आई सी डी एस को समाप्त करने के कदम के अलावा कुछ और नहीं है।

बजट में भारी कटौती

मोदी सरकार ने अपने पहले ही बजट में आई सी डी एस के लिए रु0 18108 करोड़ रु0 से घटाकर 8425 करोड़ करके, आवंटन में भारी भरकम कटौती कर दी। बाकी अन्य योजनाओं की हाल भी कुछ ऐसा ही था।

आंगनवाड़ी वर्कर्स और हैल्पर्स के जबरदस्त आन्दोलन के फलस्वरुप सरकार को इसे अतिरिक्त बजट द्वारा रु0 15000 करोड़ करना पड़ा। लेकिन बाकी योजनाओं के लिए अगले बजटों में भी आवंटन को बढ़ाया नहीं गया। इस कटौती से आईसीडीएस की बुनियादी सेवाओं और पोषाहार में कमी हुई है। बहुत सारे राज्यों में आंगनवाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषाहार 4 से 6 महीने तक नहीं दिया जाता। कई राज्यों में आंगनवाड़ी कर्मचारियों के वेतन कई महीनों तक नहीं दिए जाते।

क्या यही है बीजेपी सरकार की कुपोषण के खिलाफ लड़ाई और महिलाओं का सशक्तिकरण?

पोषाहार के बदले प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण

विश्व बैंक और नीति आयोग केन्द्र की योजनाओं के लिए सीधा कैश हस्तांतरण करने की वकालत करते है। कहा जाता है कि इससे रिसाव/ घोटाला रुक जाएगा। बिहार जैसे राज्यों में इसे लागू कर दिया गया है। बहुत से अन्य राज्यों ने इसे लागू करने के इरादों को सपष्ट किया हैं।

कैश हस्तांतरण के गम्भीर परिणाम होंगे। केवल 156 रु0 मासिक लाभार्थी के खाते में डालकर उनसे यह उम्मीद करना कि इससे वो पोषित खाना खरीद सकेंगे। यह एक भद्दा मज़ाक ही है। इससे ऐसे हालात पैदा होंगे कि खाद्य पदार्थो की बढ़ती कीमतों के कारण आदिवासी और दूसरे कमजोर तबकों में भूख से मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। दूसरे, यह कैश हस्तांतरण भी इस शर्त से जुड़ा है कि इसको जनधन खाते से जोड़ा जाएगा। आपको यह जानकारी होगी कि अगर जनधन खाते में 50,000 रुपये है तो इसमें एक भी रुपया नहीं डाला जा सकता। अगर कोई परिवार बच्चों की पढ़ाई व इलाज इत्यादि के लिए कुछ पैसा जोड़ लेता है तो उसे यह 156 रु0 नहीं मिलेंगें।

पके हुए गर्म खाने की जगह डिब्बा बंद खाना

पोषण के विशेषज्ञ, विश्व हैल्थ संगठन और पोषण संबंधी सुझाव वाली सरकारी कमेटी ने आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों को ताजा पका हुआ भोजन देने की सिफारिशें की हैं। इसके बावजूद सरकार टेक होम राशन देने पर जोर दे रही है। हमारा अनुभव यह दर्शाता है कि घर दिया हुआ राशन गर्भवती दूध पिलाने वाली माता या बच्चों को नहीं मिल पाता। हमारे समाज में गरीबी, सामाजिक परिस्थिति, लिंग आधारित भेदभाव के कारणों से, टेक होम राशन देने से इस योजना के उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जा सकता।

महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्राथमिक आधार पर लाभार्थियों को ताज़ा पकाए हुए भोजन के स्थान पर डिब्बा बंद भोजन देने की कवायद शुरू कर दी है। लाभार्थियों को यह डिब्बाबंद खाना डाकखाने के माध्यम से पहुँचाया जाएगा। महिला और बाल विकास मंत्री

मेनका गाँधी ने कहा है कि आंगनवाड़ी केन्द्र वो रोल अदा नहीं कर रहे है जो 20 साल पहले अदा करते थे। इस कथन में सरकार की मंशा का पता चलता है। यह कथन बहुत से अध्ययनों की रिपोर्ट के बिलकुल विपरीत है। जैसे कि नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ पब्लिक कोआर्डिनेशन, सेंटर. ऑफ चाइल्ड डिवलेपमेंट, विमेन डिवलेपमेंट, एन एस एस ओ के हाल के सर्वे के मुताबिक आई सी डी एस के सार्वभौमिक होने पर बच्चे के पोषण की हालात में बहुत सुधार आया है।

आम जनता के हितों को ताक पर रख कर, डिब्बे बंद पका हुआ खाना देना बीजेपी सरकार नवउदारवाद के एजेंडे को लागू करके बहुकाय खाद्य कारपोरेट को आई सी डी एस के काम को सौंपकर, देशी और विदेशी कारपोरेट को उन्हें लाभ पहुॅचाने के अलावा कुछ नहीं। वाणिज्य मंत्री ने पेप्सीको कंपनी को खाना सप्लाई करने और हॉरलिक्स कंपनी को कुपोषण से लड़ने के लिए आंमत्रित किया।

स्कूल के पहले की शिक्षा

स्कूल के पहले की शिक्षा, आई सी डी एस के तहत, बच्चों के विकास के लिए एक खास अंग था। अब इसको आगनवाड़ी के कार्यक्षेत्र से हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत से राज्यों में निजी शिक्षा संस्थाओं को आंगनवाड़ी केन्द्रों के पास नर्सरी स्कूल खोलने की इजाज़त दी जा रही है।

नर्सरी स्कूल अधिकांशतः पढ़ाई के गैर वैज्ञानिक तौर तरीके लागू करते हैं, जिससे बच्चों के विकास पर बुरा असर पढ़ता है। आंगनवाड़ी केन्द्रों के पास आधारभूत संरचना के अभाव से यह निजी संस्थाएं अभिभावकों को अपनी तरफ खींचने में कामयाब होते है। कई राज्यों में बच्चों की कम संख्या के कारण अधिकारीगण आंगनवाड़ी केन्द्र को बंद करने की धमकी देते है।

आईसीडीएस को गैर सरकारी संगठनों को सौंपने के बारे में भारत सरकार के दिशा निर्देशों में शामिल हैं —'पब्लिक प्राईवेट की सहभागिता, सेवा शुल्क बहुर्राष्ट्रीय कारपोरेट को आंगनवाड़ी केन्द्रों को गोद देना, ठेकेदारों और कारपोरेटों को पूरक पोषाहार की आपूर्ति के ठेके में शामिल करना और स्कूल पूर्व शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए निजी संस्थाओ को स्कूल से पहले की शिक्षा में शामिल करना इत्यादि'। बहुकाय कंपनी वेदांता, की तुतीकोरिन में अपनी एक प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्री का विरोध करते हुए 13 बेगुनाह लोग मारे गए। इस कम्पनी ने आईसीडीएस में रुचि दिखाई है। इसने कहा कि यह आगनवाड़ी वर्करस की योग्यता बढ़ाने का काम करेंगी।

संघर्ष को मजबूत करो

बहुत से राज्यों में आगनवाड़ी वर्कर्स और हैल्पर्स, विशेषकर ऑल इंडिया फैडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हैल्पर्स के नेतृत्व में अपनी मांगों के लगातार संघर्षों के माध्यम से अपनी कुछ मांगों को प्राप्त करने में सफल हुए है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वे सरकार की आई सी डी एस को खत्म करने की कोशिशों को नाकाम करने में सफल हुए है। 45 वें श्रम सम्मेलन की सिफारिशों को यूपीए और आज की बीजेपी सरकार लागू करने को तैयार नहीं। जिसमें सिफारिश की थी कि आगनवाड़ी वर्कर्स व हैल्पर्स को वर्कर मानकर उन्हें न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए।

इस तथ्य को मानना ही होगा कि जब तक नवउदारवादी नीतियां चल रही है आई सी डी एस को खत्म करने की तलवार गर्दन पर लटकी हुई है। यह नीतियां कांग्रेस ने शुरु की, बाद में सभी सरकारों ने चाहे वो बीजेपी या कांग्रेस के नेतृत्व में बनी हो, इन्हीं नीतियों पर चल रही हैं। यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि बजट कटौती का, वामपंथी पार्टियों की राज्य सरकारों ने विरोध किया। केरल की वामपंथी जनवादी सरकार ने केन्द्र का हिस्सा कम करने का भी विरोध किया। जिस कमेटी ने केन्द्रीय प्रयोजित योजनाओं का नीजिकरण करने की सिफारिश की, इसमें कांग्रेस बीजेपी टीडीपी के मुख्यमंत्री सदस्य शामिल थे। इस कमेटी में यह सिफारिश की है कि योजना कर्मियों के वेतनमान केन्द्र सरकार को नहीं बढ़ाने चाहिए। कुछ राज्यों में आगनवाड़ी वर्कर्स और हैल्पर्स के संघर्षों के कारण और वहां होने वाले चुनावों के मद्देनजर उनके वेतनमान बढ़े हैं। आगनवाड़ी वर्कर्स और हैल्पर्स को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि यह सरकारें, इस योजना को चलाए रखेंगी।

आई सी डी एस को बचाने का संघर्ष केवल आंगनवाड़ी वर्करस और हैल्पर्स का संघर्ष नहीं है। यह लाभार्थियों का भी संघर्ष है। आंगनवाड़ी केन्द्रों से गरीब किसानों, खेतीहर मजदूर व असंगठित क्षेत्र मजदूरों के परिवारों को लाभ मिलता है। इसलिए इस संघर्ष को मेहनतकश आवाम का सर्वव्यापी संघर्ष बनाना होगा, ताकि हमारे देश के भविष्य हमारे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले और सही विकास हो।

5 सितम्बर, 2018 की मजदूर किसान संघर्ष रैली, आई सी डी एस को बचाने और मजबूत करने के लिए है। यह रैली आई सी डी एस के लिए पर्याप्त फंड आवंटन के लिए है। यह रैली आगनवाड़ी वर्कर्स और हैल्पर्स के लिए मजदूर की मान्यता के लिए है, उनके लिए न्यूनतम वेतन और काम करने के अच्छे हालात, अच्छी आधारभूत संरचना व आंगनवाड़ी केन्द्रों मे अच्छी सुविधाओं के लिए है।

एकताबद्ध संघर्ष करो!

- जो सरकार 0.1 प्रतिशत के लिए काम करती है उसके खिलाफ,

- 99.9 प्रतिशत लोगों को लाभ पहुँचाने वाली नीतियों के लिए